कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

इंटर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति से संबंधित सूचना

विज्ञप्ति संख्या 03/2015 से संबंधित

कार्यालय विज्ञप्ति संख्या 03/2015 के आलोक में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक/उर्दू हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा कक्षा 1 से 5 के आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर नीचे दिए गए विवरणी के अनुसार औपबंधिक रूप से मेधा सूची का प्रकाशन किया जा रहा है । मेधा सूची के निर्धारण में समय समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से निर्गत अधिसूचना संख्या 1632 दिनांक 05.09.2012, 1533 दिनांक 31.07.2014, एवं पत्रांक 1531 दिनांक 03.07.2015 आदि को ध्यान में रखकर तैयारी की गई है । मेधासूची के कालम संख्या 31 में अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित कमांक उनके उस कोटि की मेधा कमांक है ।

आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए औपबंधिक मेधा सूची से अपने आकड़ें का मिलान कर लें । यदि आकड़ें में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो दिनांक 07. 09.2015 से 09.09.2015 तक स्वयं अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ **झारखंड शिक्षा परियोजना, मध्य विद्यालय बीम.एम.पी डोरण्ड परिसर, झारखंड उच्च न्यायालय के समीप, राँची** में उपस्थित होकर आपत्ति का निराकरण करा सकते हैं । निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं यह मान लिया जाएगा कि प्रकाशित आकड़ें के संबंध में आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । कालम संख्या 32 में कुछ आवेदकों के नाम के सामने अंकित विवरणी के अनुसार अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यथा पारा शिक्षक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है, वे भी अपने प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति अपने मेधा कमांक एवं पद का नाम को अंकित करते हुए उक्त निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके नियुक्ति संबंधी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।

आवेदक यह ध्यान में रखेंगे कि यह मेधा सूची औपबंधिक रूप से प्रकाशित किया गया है और इस प्रकाशित मेधा सूची को आधार मानकर नियुक्ति हेतू दावा मान्य नहीं होगा । यह औपबंधिक वरीयता सूची पूर्णतया तदर्थ एवं अभ्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रण हेतू प्रकाशित की जा रही है । प्राप्त आपत्तियों के आलोक में यदि किसी तरह की संशोधन की आवश्यकता होगी तो इसे तदोनुसार संशोधित किया जाएगा तथा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम रूप से प्रकाशित मेधा सूची जो जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद प्रथम काउन्सलिंग के पूर्व प्रकाशित की जाएगी, है ।

3/9/15

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची
3/9/15